न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/82

1. देवलाल आत्मज जगना मीणा निवासी पीतापुरा सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम गोपाल निवास तहसील बून्दी ।
2. रामस्वरूप पुत्र जगना मीणा निवासी ग्राम चेनपुरिया पटवार मण्डल लक्ष्मीखेडा तहसील बिजोलिया हाल निवासी ग्राम गोपाल निवास तहसील बून्दी ।
3. गुलाब पुत्री जगना मीणा निवासी पीतापुरा सथूर तहसील हिण्डोली मूल निवासी ग्राम गोपाल निवास तहसील बून्दी ।
4. राममूर्ति पुत्री जगना मीणा निवासी पीतापुरा सथूर तहसील हिण्डोली मूल निवासी ग्राम गोपाल निवास तहसील बून्दी ।
5. सीताबाई पुत्री जगना मीणा निवासी पीतापुरा सथूर तहसील हिण्डोली मूल निवासी ग्राम गोपाल निवास तहसील बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. जयकिशन आत्मज मोडूलाल मीणा जाति मीणा निवासी गपोल निवास तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा बून्दी जिला बून्दी ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत आमली तहसील व जिला बून्दी ।
4. तहसीलदार तहसील, बून्दी जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र सहाय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामदत्त शर्मा, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

दिनांक: 14.10.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 502 दिनांक 09.02.2016 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसीलदार द्वारा खोला गया नामान्तरकरण आदेश वस्तुस्थिति के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । वसीयतकर्ता के कोई संतान नहीं थी और अपीलान्ट को ही पुत्र की तरह वसीयतकर्ता मानते थे । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 5 वसीयतकर्ता के भाई के पुत्र व पुत्रियॉ हैं । तहसीलदार द्वारा मौके की सही जॉच नहीं की गई और मौके पर वसीयत की गई आराजी पर अपीलान्ट के अलावा अन्य किसी का कब्जा नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने फोती नामान्तरकरण संख्या 502 रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 5 के नाम तस्दीक कर दिया परन्तु पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत करना एवं भूमि पर कब्जा बताया गया है ।

3. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायाल द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 502 दिनांक 09.02.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.01.2019 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 502 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2019 के खिलाफ अप्रार्थी क्रम 1 से 5 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 502 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है यदि उक्त तस्दीक के विरूद्ध पुनः जॉच की आवश्यकता भी हो तो जॉच हेतु उसी कानूनी निकाय को ही रिमाण्ड की जानी चाहिए न कि किसी दूसरे अधिकारी अथवा न्यायालय को । ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण कानूनी अधिकारों के तहत किया गया कृत्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से एक प्रार्थना पत्र कानूनी आपत्ति करते हुए किया गया जिसमें जवाब अपीलान्ट की ओर से दिया गया । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के समक्ष रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अपीलान्ट क्रम 1 से 5 एवं अन्य के खिलाफ धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण संख्या 502 दिनांक 09.02.2016 की अपील पेश की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 502 दिनांक 09.02.2016 को निरस्त किया और तहसीलदार बून्दी को प्रकरण रिमाण्ड किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय कानून के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 502 ग्राम पंचायत के द्वारा तस्दीक किया गया है । यदि पुनः जॉच की आवश्यकता थी तो उसके लिए ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया जाना चाहिए था किसी अन्य को नहीं । नामान्तरकरण में क्या त्रुटि है यह नहीं बताया गया था । अपीलान्ट

खातेदार दर्ज हो चुके हैं और बैंक से कर्जा लिया हुआ है । खातेदारी दर्ज होने के बाद सक्षम न्यायालय से ही खातेदारी निरस्त की जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुनवाई का श्रवणाधिकार इसी न्यायालय को है क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 502 के खिलाफ अपील जिला कलक्टर के समक्ष पेश की गई थी जिसकी सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, बून्दी को हस्तान्तरित की गई थी । द्वितीय अपील धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इसी न्यायालय में होगी । प्रथम अपील धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत जिला कलक्टर को होगी क्योंकि यह नामान्तरकरण सेटलमेंट या लैण्ड रिकॉर्ड से सम्बन्ध नहीं रखता । undisputed नामान्तरकरण के खिलाफ द्वितीय अपील का श्रवणाधिकार इसी न्यायालय को है । अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 553, आरआरडी 1980 पेज 352 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि यह अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है क्योंकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत जिला कलक्टर महोदय के यहॉ अपील पेश की गई है जिनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बून्दी को हस्तान्तरित की गई है । उपखण्ड अधिकारी बून्दी के द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ द्वितीय अपील यहॉ पेश की गई है जो इस न्यायालय में धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई है जबकि धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार द्वितीय अपील डायरेक्टर ऑफ लैण्ड रिकॉर्ड के समक्ष ही पेश की जा सकती है जिसका क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त अथवा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय को है । इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है क्योंकि डायरेक्टर ऑफ लैण्ड रिकॉर्ड की पॉवर राजस्व अपील प्राधिकारी को नहीं है । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 25 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपील उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के द्वारा धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण संख्या 502 पर पारित निर्णय के खिलाफ पेश की गई है । धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार द्वितीय अपील डायरेक्टर ऑफ लैण्ड रिकॉर्ड के समक्ष ही पेश की जा सकती है जिसका क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त अथवा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय को है । आरआरडी 1993 पेज 25 यहॉ चस्पा होती है जिसमें यह होल्ड किया गया है कि लैण्ड रिकॉर्ड ऑफीसर के रूप में जो आदेश पारित किये जाते हैं उसकी द्वितीय अपील डायरेक्टर लैण्ड रिकॉर्ड संभागीय आयुक्त अथवा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश की जा सकती है । इन तथ्यों के आधार पर अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

11. निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा